




GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

LABOUR DEPARTMENT/श्रम विभाग



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

उप श्रम आयुक्त, गुडगाँवा।

क्रमांक: आई0डी0 / 7808

दिनांक: 6-3-06

विषय:-

मै0 फैशन एक्सप्रेस 100, फ़ेस-1, उद्योग विहार, गुडगाँवा के प्रबन्धकों द्वारा दीपावली बोनस वितरण के समय अपनाई गई भेदभाव पूर्ण नीति के कारण संस्थान में तनाव ग्रस्त हालत बारे व Sexual Harrasment बारे शिकायत पर रिपोर्ट।

.....

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 723 दिनांक 15.2.2006 के सन्दर्भ में।

आपने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.2.2006 अनुसार यूनियन द्वारा उठाये गये बिन्दु को न्याय निर्णय हेतु श्रम न्यायालय में भेजने की सिफारिश की है। इस कार्यालय के विचार में यूनियन की केवल कथित शिकायत के आधार पर इस प्रकार का बिन्दु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय में न्याय निर्णय हेतु भेजना उचित नहीं है। इस स्थिति में आपसे अनुरोध है कि आप सम्बन्धित यूनियन को यह परामर्श देवे की बोनस की अदायगी करने में यदि प्रबन्धकारणी द्वारा भेद की नीति अपनाई जा रही है तो वे विधिवत उक्त अधिनियम की धारा 2(के0) के अन्तर्गत अपना मांगपत्र दायर करें।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।